17/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकेन उपस्थित। मामले में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए अपील मीमो में अंकित तथ्यपरक कथन दोहराते हुए बहस के दौरान बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन डिक्री व निर्णय पारित करने में तथ्यों एवं कानून की भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री जारी की वह सही है और उसकी अपील भी नहीं की है परन्तु उसके अनुसरण में जो अपीलाधीन अंतिम डिक्री जारी की है वह सरासर गलत है। सभी सह-खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने से भी यह डिक्री काबिले निरस्त है। अंतिम डिक्री के जरिये अधीनस्थ न्यायालय ने ख. नं. 599 व ख. नं. 595 के खातेदारान की रिकॉर्ड में स्थिति को ही बदल दिया है। रेस्पोंडेंट सुरती केवल ख. नं. 599 की सहखातेदार थी परन्तु इसने उसे ख. नं. 599 एवं 595 दोनों का ही सहखातेदार बना

P.T.O

पीठासीन अधिकारी

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

......................................बनाम......................................

किस्म मुकदमा RT ...LR न. सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत प्रेसिडिंग/जुडिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिया गया जो किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता था। इससे सहखातेदारो के हिस्से प्रभावित हो गए। रेस्पोडेंट पन्ना व बगता का जो हिस्सा ख.नं० 599 में था उससे कम हिस्सा उन्हें देते हुए ख.नं० 595 में इनका हिस्सा बढ़ा दिया जो न्यायालय को कोई अधिकार नहीं था। रेस्पो० राधूराम, चूनाराम व लाला का ख.नं० 599 में जितना हिस्सा था उससे कम उन्हें देते हुए ख.नं० 599 में इनका हिस्सा मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। मामले में विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्व रिकॉर्ड के इंद्राजों को अनदेखा किया और दोनो ही खसरे सहखातेदारों के मान लिये गए। अपीलार्थीगण को विभाजन प्रस्ताव के वक्त मौके पर नहीं बुलाया जिससे गंभीर त्रुटि कारित हुई। अपीलेंट को न तो सुना न आपत्ति पेश करने का मौका दिया। अतः अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार कर अपीलाधीन डिक्री/निर्णय अपास्त कर अधीनस्थ न्यायालय को मामला रिमाण्ड कर मौके से पुनः राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक हिस्सा दर्शाते मौके के विभाजन प्रस्ताव निष्पक्षतापूर्वक पक्षकारान की मौजूदगी में बनाया जाकर तदनुसार निर्णय पारित किया जाने के निर्देश दें। अपीलेंट की बहस का विरोध करते हुए रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री सही एवं उचित है, अपील अपीलेंट खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावे। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दावा के पद सं० 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि- "प्रतिवादी सं० 3, 4, 5 व 6 का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा है जिसमें ख.नं० 599 में अपने बंट की 1/4 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी सं० 12 सुरती पत्नी गुलतानाराम को बेचान कर दी है।" यह वादीगण के दावे में कथन है। अंतिम डिक्री के अनुसार ख.नं० 595 में भी सुरती को शामिल कर लिया गया है जैसा कि तहसीलदार लूणी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अनुसार डिक्री जारी की जानी उल्लेखित की गई है। इस विभाजन प्रस्ताव (मौका फर्द दि. 7.10.10) के क्रमांक 3 में " प्रतिवादी सं. 3 से 12 के हिस्से में रखी गई भूमि दोनो खसरा नं० 599 व 595 में है जबकि ख.नं० 595 में प्रतिवादी सं० 12 सुरती का कोई एक-हिस्सा निहित नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श Ex-3 जमाबंदी ग्राम विष्णुनगर केन्द्र PTO	

तारीख हुक्म	दस्तखत जज	नम्बर व अहकाम व हुक्म की तामील में जारी हुए

2058 से 2060 के खाता नं. 58 के अनुसार ख.नं. 599 रकबा 44-18 बीघा में नामा० सं. 55 बेचान: पन्ना बगता पि. प्रहलाद राधू पूना लालू पि० मेगा हीरासी० मुकना प्रभुराम सवल पुत्रा हणुता हीरू पि गुणेशा हीरासी० मुकना पुत्रा रावल, हणुता हीरू पि० गुणेशा 3/4 सुरती w/o पुलनाराम 1/4 "तहरीर लाल स्याही से है जबकि प्रदर्श Ex-2 मुताबिक ख.नं० 595 रकबा 120-00 बीघा में यह तहरीर अंकित नहीं है। अतः साबित है कि ख.नं० 595 में सुरती का कोई हक-हिस्सा निहित नहीं है और न ही वह इस खाते की भूमि में सहखातेदार ही है। ऐसी स्थिति में अंतिम डिक्री राजस्व रिकॉर्ड एवं खातेदारी हकूकों के विपरीत है। अंतिम डिक्री दिनांक 22-10-2010 निरस्त योग्य है।

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन डिक्री दिनांक 22-10-2010 बासिलसिला वाद सं० 106/2005 पारित सहायक कलेक्टर फलोदी अपास्त (खारिज) की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्राथमिक डिक्री दि. 8/9/2010 के अनुसरण में नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में खातेदारों के हिस्सों के अवधारणा मुताबिक मौके पर जाकर तहसीलदार, फलोदी पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें तत्पश्चात न्यायालय नये सिरे से निर्णय। डिक्री पारित करें। निर्णय सुनाया।

पत्रावली मौसल मुताबिक होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

[signature]

राजस्व अपील अधिकारी

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

हीरा वगैरह बनाम पन्ना वगैरह
किस्म मुकदमा 223 RTA न.90 सन् 2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.12.2019	अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सी.पी.सी. पर पत्रावली आज सुनवाई किये जाने पर पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम विष्णुनगर तहसील लोहावट, सहायक कलक्टर लोहावट के क्षेत्राधिकार में होने से न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.12.2019 में तहसील फलोदी एवं सहायक कलक्टर फलौदी के स्थान पर तहसील लोहावट एवं सहायक कलक्टर लोहावट संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि ग्राम विष्णुनगर, तहसील फलोदी व सहायक कलक्टर फलौदी के क्षेत्राधिकार में नही होकर नवसृजित तहसील लोहावट एवं सहायक कलक्टर लोहावट के क्षेत्राधिकार की है। अतः तहसील फलोदी एवं सहायक कलक्टर फलोदी के स्थान पर तहसील लोहावट एवं सहायक कलक्टर लोहावट पढा जावे। एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय दिनांक 17.12.2019 की पालना हेतु सहायक कलक्टर लोहावट को भिजवायी जावे। प्रतिलिपि सहायक कलक्टर फलोदी को सूचनार्थ भिजवायी जावे। आदेश सुनाया गया।	